

मांग संख्या 27

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1 से 4

आकस्मिकता निधि भूत्य एवं अंशकालीन स्वीपर की मजदूरी भुगतान हेतु ₹ 857.36 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 8,57,36,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

अशासकीय विद्यालयों को सहायक अनुदान हेतु ₹ 327.74 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,27,74,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6 से 10

भारत सरकार द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत पूर्व निर्धारित परिवहन व्यय एवं एम.एम.ई. की दर में परिवर्तन तथा किचन डिवार्ड्स रिल्समेंट हेतु ₹ 1831.12 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 18,31,12,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

आकस्मिकता निधि भूत्य एवं अंशकालीन स्वीपर की मजदूरी भुगतान हेतु ₹ 134.90 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,34,90,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

अशासकीय विद्यालय को सहायक अनुदान हेतु ₹ 66.95 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 66,95,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

सैनिक स्कूल मेण्डाकला, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा में शिक्षा सत्र 2018-19 में अध्ययनरत राज्य के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु ₹ 139.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,39,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण कार्यालयों में कार्यरत आकस्मिकता निधि भूत्य एवं अंशकालीन स्वीपर की मजदूरी भुगतान हेतु ₹ 30 अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15 से 16

केन्द्र क्षेत्रीय योजना मदरसा बोर्ड के केन्द्र प्रवर्तित योजना में परिवर्तित होने के कारण 200 प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2205

मद क्रमांक 17 से 20

सेन्ट्रल लायब्रेरी संचालन के लिए कार्यालय व्यय अंतर्गत फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण, पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं, बिजली एवं जल प्रभार एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु ₹ 30.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 21

संभागीय कार्यालय के लिए 3 नगा वाहन ₹ 18.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 18,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।